

पत्रांक.....4110..1

कार्यालय राज्य अग्निशाम सेवा मुख्यालय, बिहार, पटना ।

प्रेषक,

सतीश कुमार,
पुलिस उप महानिरीक्षक-सह-उप महासमादेष्टा,
गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ,
बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी वास्तुविद/ जमीन मालिक,
नव भवन निर्माण ।


पटना, दिनांक. 05/12/2016.

विषय :- बहुमंजिली इमारतों का प्लॉन में अग्निशामन विभाग द्वारा दी गयी अनुशंसा के अनुरूप अग्नि सुरक्षा व्यवस्था उपरांत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार आप सभी को निदेश दिया जाता है कि राज्य अग्निशाम पदाधिकारी-सह-निदेशक का कार्यालय द्वारा आपके प्लॉन पर अग्नि सुरक्षा दृष्टिकोण से दिये गये अनुशंसा के अनुरूप सभी अग्निशामक यंत्रों एवं उपकरणों को लगाकर बिहार भवन उपविधि, 2014 के उपाबद्ध (एनेक्सर)-1 उप विधि-6(1) का क्रमांक 2 के कॉलम 'ग' "कर्त्तव्य और दायित्व" भवन में शामिल सेवाएं जोखिम रहित ढंग से काम करें और सेवा सुविधाओं एवं उपकरणों को आग की जोखिम से बचाव के लिए पर्याप्त उपबंध राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के अनुबंधों के अनुसार किया जाय तथा अधिभोग प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करने के पूर्व मुख्य अग्निशामन पदाधिकारी या संबद्ध प्राधिकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्राप्त करेंगे । "The building and for making adequate provisions for services and equipment for protection from the fire hazards as per the stipulations of the National Building Code of India in the buildings and shall obtain N.O.C. from the Chief Fire Officer or concerned Authority/ before applying for occupation certificate"

विश्वासभाजन,


(सतीश कुमार)